



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)  
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority  
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India  
एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012  
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012  
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- [la-ppvfra@nic.in](mailto:la-ppvfra@nic.in)

दिनांक: 14.02.2023

सार्वजनिक सूचना  
(2023 का 03)

पीपीवी एंड एफआर नियम , 2003 के नियम 22(2) के तहत पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने दिनांक 02.02.2022 को हुई 35वीं बैठक में निम्नलिखित फसल प्रजातियों की डीयूएस परीक्षण शुल्क जो नीचे हैं:

क्र.सं.	पंजीकरण के लिए उपयुक्त फसल प्रजातियां	डीयूएस परीक्षण शुल्क	ऑन-साइट परीक्षण शुल्क
1.	सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस एल. एफ.)	उपलब्धक नहीं	रु.2,00,000
2.	कालाजीरा [बुनियम पर्सिकम (बायोस.) फेड्ट्स]	रु. 30,000/-	उपलब्धन नहीं
3.	केसर (क्रोकस सेटिवस एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्धर नहीं
4.	सेम (लैबलैब परप्यूरियस (एल.) स्वीट)	रु. 20,000/-	उपलब्धक नहीं
5.	सफेद कद्दू (बेनिनकासा हिस्पिडा (थूनब.) कॉग्न.)	रु. 20,000/-	उपलब्धन नहीं
6.	चिचिण्डा (ट्राइकोसैथेस एंगुइना एल.)	रु. 20,000/-	उपलब्धर नहीं
7.	कुंदरू (कोकिनिया ग्रैंडिस (एल.)	रु. 30,000/-	उपलब्धक नहीं

-हस्ताक्षरित-  
(डी.के. अग्रवाल)  
महापंजीकार